

प्रतिलिपि के लिए
आवेदक की तारीख

स्टाम्प और फोलियो
की अपेक्षित संख्या सूची
करने की निश्चित तारी



तारीख जबकी देने के लिए
प्रतिलिपि तैयार थी

आवेदक को प्रतिलिपि
द देने की तारीख

4/6/16
11/1/16

Date of Application
for the copy

Date fixed for notifying
the requisite number of
stamps and folios

Date of delivery of the
requisite stamp & folios

Date on which the copy
was ready for delivery

Date of mading
over the copy to
the applicant

9/1/16

9/1/16

9/1/16

11/1/16

11/1/16

FOLIO NOT AVAILABLE

रखी प्रतिलिपि अंतिम प्रकाशित खतियान के खेसरा संख्या

3220

खाता नं० 346

वार्ड सं० 8

जमशेदपुर अधिसूची क्षेत्र, जिला पूर्वी सिंहभूम।

गाँव
थाना

मोहल्ला
पट्टी

परगना

थाना सं०

तोजी सं०

स्वत्वाधारी का नाम और उसकी खेवट संख्या
मध्यवर्ती भू-स्वामी का नाम और उसका खेवट संख्या यदि हो

बिना संका

खतियान की क्रम सं०	अभिधारी का नाम पिता का नाम जाति और निवास	खेत		भूमी का स्वरूप	रकबा हे० आर० सं०	अम्युक्ति	गैर नगदी लगान वाले हरेक प्लाट के सामने बताए कि उस पर कब्जा कैसे है		(1) अधियोगी रयत कर हेसियत और कब्जे की अवधि। (2) लगान किस प्रकार नियत किया गया, आरोही (प्रोग्रेसिव हो तो विशिष्टियाँ) (3) कोई विशेष शर्त और अनुबंध बात यदि हो।
		खेसरा संख्या	चौहदी				राजस्व पदाधिकारी द्वारा अभिनिश्चित लगान। 1 लगान 2 सेस	बन्दोबस्त उचित लगान यदि हो 1 लगान 2 सेस	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
346	माजरा खाबुन मिना मोहम्मद भासिन।	3220		मौदी आर	0.01.60		राजस्व पदाधिकारी द्वारा अभिनिश्चित लगान। 1 लगान 2 सेस	बन्दोबस्त उचित लगान यदि हो 1 लगान 2 सेस	(1) अधियोगी रयत कर हेसियत और कब्जे की अवधि। (2) लगान किस प्रकार नियत किया गया, आरोही (प्रोग्रेसिव हो तो विशिष्टियाँ) (3) कोई विशेष शर्त और अनुबंध बात यदि हो।
		प्रतिलिपिक आवेदक 11/1/16		तुलना किया 11/1/16			राजस्व पदाधिकारी द्वारा अभिनिश्चित लगान। 1 लगान 2 सेस	बन्दोबस्त उचित लगान यदि हो 1 लगान 2 सेस	(1) अधियोगी रयत कर हेसियत और कब्जे की अवधि। (2) लगान किस प्रकार नियत किया गया, आरोही (प्रोग्रेसिव हो तो विशिष्टियाँ) (3) कोई विशेष शर्त और अनुबंध बात यदि हो।

Certified to be True Copy

11/1/16
Head Clerk to the Settlements office
is authorized (U/s 76 of the
Indian Evidence Act, 1907)

यह भूत्व अपिलेख छोटानगपुर कारतकारी अधिनियम
1908 की धारा 83(2) तथा बिहार एवं उड़ीसा
नगरपंचक संरक्षण अधिनियम 1920 की धारा 10(1)
के अन्तर्गत तैयार हुआ और इन्फो अन्तिम प्रकाशन
दिनांक 10.08.1979 को किया गया
अन्तिम प्रकाशन प्रमाण पत्र दिनांक 10.08.1979
को हस्ताक्षरित हुआ

बन्दोबस्त पदाधिकारी
सिंहभूम